पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27-02-2021

दिनांक 26/27-02-2021 को रात्रि थाना थाना काकोरी 11, सरोजनीनगर 01, पारा 02 गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 मध्य

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सरोजनीनगर:-दिनांक 27-02-2021 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 25-02-2021 को वादी श्री शहनवाज पुत्र श्री इशरत अली निवासी तपोवन नगर कानपुर रोड लखनऊ द्वारा थाना सरोजनीनगर पर अपनी बहन हीना बानो के सम्बन्ध में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट को अभियोग बनाम 1-इरफान (पति) 2-रफीक (ससुर) व अन्य ससुरालीजन निवासीगण मोहल्ला कटरा बिजनौर थाना सरोजनीनगर लखनऊ के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था, कि विपक्षीगणो द्वारा वादी की बहन हीना बानो उम्र 28 वर्ष को दहेज के लिये प्रताड़ित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना श्री स्वतंत्र ॠसह सहायक पुलिस आयुक्त ेष्णानगर लखनऊ द्वारा की जा रही है। दिनांक 26-02-2021 को विवेचना के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त ेष्णानगर लखनऊ के निर्देˆान में एस0आई0 श्री वैभव सिंह थाना सरोजनीनगर द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त 01- इरफान पुत्र रफीक उर्फ लाला निवासी कटरा मोहल्ला बिजनौर सरोजनीनगर लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर बिजनौर, सरोजनीनगर से गिरफ्तार कर थाना सरोजनीनगर पर आवˆयक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध ˆाराब के साथ गिरफ्तार

थाना गोसाईगंज:-दिनांक 26-02-2021 को एस0आई0 श्री जयसिंह थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01-मो0 इरˆााद पुत्र मो0 निˆाार निवासी अंसारी वार्ड कस्बा अमेठी थाना गोसाईगंज लखनऊ 02-मो0 गुलाम वारिस पुत्र मो0 निˆाार निवासी अंसारी वार्ड कस्बा अमेठी थाना गोसाईगंज लखनऊ को कस्बा अमेठी गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पारा:-दिनांक 27-02-2021 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि दिनांक 08-01-2021 को वादी श्री अजीत सिंह पुत्र श्री राम प्रताप सिंह निवासी गढ़ी कनौरा थाना आलमबाग लखनऊ ने थाना पारा पर धारा 147/148/149/452/504/506/356/307 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट का अभियोग बनाम 01-रघुवीर 02-सुखवीर व अन्य के विरूद्व

इस सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था, कि अभियुक्तगणें द्वारा एक राय होकर दुकान में घुसकर वादी व वादी के परिवारीजनों के साथ मार पीट कर जान से मारने की नियत से सिर पर वार करके जाति सूचक ७ब्दों से गालिया देने व मार पीट करने के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी द्वारा की जा रही है। दिनांक 26-02-2021 को विवचेना के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी के निदे८ान में एस0आई0 श्री सुरे८ा नारायण मिश्रा थाना पारा द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त 01-रघुवीर यादव पुत्र स्व0 अमृत लाल निवासी ग्राम हंसखेड़ा थाना पारा लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर हंसखेड़ा पारा से गिरफ्तार किया गया।

भा0द0वि0

थाना विभूतिखण्ड:-दिनांक 27-02-2021 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री अनुज कुमार गुप्ता पुत्र श्री उदय नारायन गुप्ता निवासी 9/301 ओमेक्स हाइट्स विभूतिखंड लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि दिनांक 25-02-2021 को समय करीब 12.00 बजे दिन में वादी अपने मकान सं0 डी-3/222 विक्रान्तखंड गया तो देखा कि मकान के अन्दर कुछ लड़के घर का सामान वायरिंग का तार व टोटी को चोरी कर ले जा रहे थे, वादी के देखते ही अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से चोरी किया गया सामान लेकर भाग गये। इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 94/2021 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री संजय कमार गुप्ता द्वारा की जा रही है।

MEDIA